न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल , जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.
प्रार्थना पत्र संख्या :– 67/2024

दायर तारीख :– 05.08.2024

1. गीता देवी पुत्री स्व0 प्रहलाद सहाय पत्नी श्रवण कुमार जाति ब्राहमण, निवासी मैन बस स्टेण्ड लाम्बिया वाया खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. कुंजबिहारी पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद सहाय जाति ब्राहमण, निवासी बासडी खुर्द तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थीगण

बनाम

1. नाथूलाल पुत्र जगन्नाथ (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/1 संतरा देवी पत्नी नाथूलाल जाति ब्राहमण , निवासी बासडी खुर्द हाल निवासी बालाजी विहार, 35 बी 58 टोडी तहसील आमेर जिला जयपुर ग्रामीण
   1/2 प्रभाती पुत्री नाथूलाल पत्नी मूलचन्द जाति ब्राहमण निवासी छोटी रामजीपुरा , तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण।
   1/3 नन्दकिशोर पुत्र नाथूलाल जाति ब्राहमण निवासी बासडी खुर्द हाल निवासी बालाजी विहार 35 बी 58 टोडी तहसील आमेर जिला जयपुर ग्रामीण
   1/4 बाबूलाल पुत्र नाथूलाल जाति ब्राहमण निवासी बासडी खुर्द हाल निवासी बालाजी विहार 35 बी 58 टोडी तहसील आमेर जिला जयपुर ग्रामीण
2. मालीराम पुत्र जगन्नाथ (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/1:– केसरी पत्नी मालीराम
   1/2 सावरमल पुत्र मालीराम
   1/3 गिर्राज पुत्र मालीराम
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी बासडी खुर्द तहसील कि0 रेनवाल
   1/4सुप्यार पुत्री मालीराम पत्नी राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी नादरी प्रतापपुरा तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण
   1/5 राजूदेवी पुत्री मालीर पत्नी सीताराम जाति ब्राहमण निवासी कंवरपुरा वाया बधाल ,तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर
3. गोपाल लाल कुमावत पुत्र भूराराम जाति कुमावत, निवासी बासडी खुर्द तहसील कि0 रेनवाल
4. नितिन कुमार दरिया पुत्र सूरजमल दरिया जाति रैगर निवासी लालासर तहसील कि0 रेनवाल
5. विद्धान उपपंजीयक महोदय, किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण,
6. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण।
7. मनमोहन पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद सहाय
8. रामप्रकाश पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद सहाय
   दोनो जाति ब्राहमण निवासी बासडी खुर्द तहसील कि0 रेनवाल
9. प्रेमदेवी पुत्री स्व0 श्री प्रहलाद सहाय जाति ब्राहमण, निवासी बासडी खुर्द तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण।
10. गोपाल पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद सहाय जाति ब्राहमण निवासी बासडी खुर्द तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण।
11. उषा देवी पुत्री स्व0 श्री प्रहलाद सहाय पत्नी ओमप्रकाश
12. सीतादेवी पुत्री स्व0 श्री प्रहलाद सहाय पत्नी मूलचन्द
13. मिश्री देवी पुत्री स्व0 श्री प्रहलाद सहाय पत्नी सुरेश
    तीनो जाति ब्राहमण निवासी कुंभा की तलाई, जोशियों की ढाणी ग्राम लाम्बीया वाया खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकार

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री जयंत चौधरी , विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री श्रवणलाल कुमावत, विद्ववान अधिवक्ता अप्रार्थी 1/1,1/3,1/4,3,7,12

उपखण्ड अधिकारी

निर्णय

निर्णय दिनांक:- 8/09/25

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि जिसका संक्षिप्त में वाक्यात इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त उनवानी वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी/दुरूस्ती इन्द्राज एंव स्थाई निषेधाज्ञा हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया ळै। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थीगण , अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रफोर्मा अप्रार्थीगण सयुंक्त हिन्दु परिवार के सदस्य होकर स्व0 सुखदेव ब्राहमण के वंशज है जिनका पारिवारिक सजरा प्रार्थना पत्र में वर्णित है। वादग्रस्त आराजीयात पुराने खसरा नम्बर 357 नये खसरा नम्बर 378 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा ग्राम बासडी खुर्द , पटवार हल्का बासडी खुर्द तहसील किशनगढ रेनवा जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित है। उक्त आराजीयात बाबत प्रार्थिगण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एंव प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के पूर्वज सुखदेव शर्मा काबिज काश्त थे तथा पर्चा सेटलमेंट से पूर्व सुखदेव व जगन्नाथ पुत्र सुखदेव फौत हो चुके [redacted] उनके निधन के पश्चात उक्त आराजीयात में सुखदेव ब्राहमण के पुत्र चन्द्राराम एंव जगन्नाथ के विधिक वारिसान उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त रहे है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात वादग्रस्त आराजीयात बाबत सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के पूर्वज जगन्नाथ के विधिक वारिसान एंव उनके भाई चन्द्राराम के नाम से पर्चा आना चाहिए था किन्तु सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा सहवन से/त्रुटिवश जमाबन्दी खतौनी बन्दोबस्त में चन्द्राराम , जगन्नाथ पुत्र सुखदेव के स्थान पर चन्द्रा वल्द नाथूराम का अंकन कर दिया जबकि वादग्रस्त आराजीयात पर सुखदेव के पश्चात उनके दोनो पुत्र जगन्नाथ एंव चन्द्राराम मौके पर अपने अपने हिस्से पर निरन्तर काबिज काश्त रहे है। तथा बन्दोवस्त विभाग द्वारा जगन्नाथ एंव चन्द्राराम पुत्रान सुखदेव के नाम उक्त आराजीयात का अंकन किया जाना चाहिए था। तथा इसी प्रकार से चन्द्रा पुत्र सुखदेव का स्वर्गवास हो गया एंव हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उक्त समस्त आराजीयात बाबत हक व अधिकार जगन्नाथ पुत्र सुखदेव के विधिक [redacted] वारिसानों में निहित हो गये तथा इस प्रकार से जगन्नाथ के निधन के पश्चात उनके तीनों पुत्र नाथूलाल, मालीराम एंव प्रहलाद सहाय में वादग्रस्त आराजीयात का 1/3–1/3 हिस्सा निहित हो गया तथा प्रहलाद सहाय के निधन के पश्चात वादग्रस्त आराजीयात बाबत 1/27–1/27 हिस्सा प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा अप्रार्थीगण का निहित हे जिसकी उदघोषणा खातेदारी हेतु उक्त उनवानी राजस्व वाद श्रीमान न्यायालय की सेवा में प्रस्तुत किया जा चुका है। वादग्रस्त आराजीयात सुखदेव ब्राहमण की थी तथा उनके निधन के पश्चात उक्त आराजीयात पर उनके पुत्र चन्द्राराम तथा जगन्नाथ का 1/2–1/2 हिस्सा निहित था तथा चन्द्राराम तथा जगन्नाथ के फौत होने पर वादग्रस्त आराजीयात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार चन्द्राराम पुत्र सुखदेव का 1/2 हिस्सा जगन्नाथ पुत्र सुखदेव निहित हो गया तथा जगन्नाथ पुत्र सुखदेव के निधन के पश्चात वादग्रस्त आराजीयात बाबत उनके तीनों पुत्र नाथूराम, मालीराम व प्रहलाद सहाय में 1/3–1/3 हिस्सा निहित करता है तथा प्रहलाद सहायक के 1/3 हिस्से में से प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा अप्रार्थीगण का 1/9–1/9 हिस्सा यानि 1/27 हिस्सा निहित करता है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत चन्द्रा पुत्र सुखदेव के निधन के पश्चात त्रुटिपूर्ण रूप से उनकी विरासत का नामान्तकरण नाथूलाल पुत्र चन्द्रा (अप्रार्थी संख्या 1) के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि नाथूलाल पुत्र जगन्नाथ कभी भी चन्द्रा के गोद नहीं गया तथा चन्द्रा पुत्र सुखदेव फौत हुआ है। उसकी पत्नी केसरी देवी की भी मृत्यु हो चुकी है। तथा चन्द्रा के एक मात्र पुत्री मांगीदेवी थी जिसका निधन उसकी माता से पहले ही नाऔलाद हो चुका था इस प्रकार चन्द्रा पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

सुखदेव के कोई भी जीवित वारिसान नहीं है। जबकि वादग्रस्त आराजीयात बावत प्रार्थीगण , अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एंव प्रफोर्मा अप्रार्थीगण वादग्रस्त आारजीयात बावत अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के हक व अधिकारों की उदघोषणा हेतु उक्त उनवानी राजस्व वाद श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत किया जा चुका है। तथा ताफैसला मूल वाद असल अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाने हेतु उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 नाथूलाल पुत्र जगन्नाथ अत्यन्त कुटिल एंव चालाक व्यक्ति था तथा विवादित आराजीयात सहवन से/त्रुटिवश चन्द्रा पुत्र सुखदेव के निधन के पश्चात उनकी पत्नी कैसी पत्नी चन्द्रा के जीवनकाल में ही उनकी विरासत का नामांतरण अपने नाम तस्दीक करवा लिया तथा इसी प्रकार से विवादित आराजीयात बाबत नाथू पुत्र चन्द्रा के नाम से पुनः दुरूस्ती करवा ली तथा अन्य भूखण्ड बाबत आबादी का पट्टा नाथू , मालीराम , प्रहलाद पुत्र जगन्नाथ के नाम से बनवा लिया था तथा नाथू का मृत्यु प्रमाण पत्र भी नाथू पुत्र जगन्नाथ के नाम से बना हुआ है इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात बाबत अप्रार्थी संख्या 1 नाथू पुत्र जगन्नाथ द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके अपने नाम से भिन्न प्रकार से तस्दीक करवा लिया । इस प्रकार से विवादित आराजीयात बाबत प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी हेतु उक्त उनवानी वाद श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत किया जा चुका है। तथा ताफैसलान मूल वाद असल अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाने हेतु उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011 से 2029 में विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 378 चन्द्रा वल्द नाथू के नाम दर्ज है तथा नाथू वल्द चन्द्र के निधन के पश्चात जरिये नामान्तरण संख्या 33 तस्दीक कर दिया गया तथा पंचायत कोरम मिंटिग सन 1968 में गलत निर्णय लिया गया तथा जमाबन्दी में नाथू वल्द चन्द्र का अंकन कर दिया गया तथा जरिये नामांतरण संख्या 1041 दिनांक 22.07.2020 के द्वारा संतरा, प्रभाती व नन्दकिशोर , बाबूलाल के पक्ष में हक त्याग कर दिया गया जिसकी पालना में नामांतकरण संख्या 1045 दिनांक 06.08.2020 को तस्दीक करवा दिया गया तथा बाबूलाल द्वारा दिनांक 26.07.2022 को गोपाल पुत्र भूरा के द्वारा उक्त आराजीयात का दिनांक 08.05.2024 को नितिन दरिया पुत्र सूरजमल को बेचान कर दी गयी है। जो कि प्रार्थीगण के हक व अधिकारों के विपरित है तथा प्रार्थीगण के खातेदारी काश्तकारी अधिकारों की उद्घोषणा हेतु उक्त उनवानी वाद सेवा में प्रस्तुत किया जा चुका है तथा ताफैसला मूल वाद असल अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाने हेतु उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं0 1/1,1/3,1/4, 1/4,3,9,7,12,13 की ओर वकील श्रवण कुमावत उपस्थित हुये तथा जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया । अप्रार्थी संख्या 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 ,4,8,10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। जो संक्षिप्त में इस प्रकार है।प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 6 में नाथू वल्द चन्द्रा के निधन के पश्चात जरिये नामान्तरण संख्या 33 तस्दीक दिया गया तथा पंचायत मिंटिग 1968 में सही निर्णय गया था। जमाबन्दी में नाथू वल्द. चन्द्रा का नाम सही अंकित किया गया था प्रार्थीगण को दिनांक 10.07.2024 को या अन्य दिनांक/दिन को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रार्थीगण के पक्ष में किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं है बल्कि मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में ही सुविधा का सन्तुलन है यदि मिन अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता हैं तो प्रार्थीगण की बजाय मिन अप्रार्थीगण को अधिक अपूर्णयीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षति

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

पूर्ति किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं हो सकेगी व अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि उनवानी वाद में विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में उनवानी वाद मालीराम बनाम नाथू बाबत घोषणा खातेदारी , दुरुस्ती इन्द्राज एंव स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय सहायक जिलाधीश महोदय सांभरलेक जिला जयपुर के समक्ष दौराने विचारण वादी मालीराम एंव प्रतिवादीगण नाथूलाल पुत्र जगन्नाथ , गोपाल, कुंजबिहारी, मनमोहन, रामप्रकाश पुत्र प्रहलाद सहाय, गीता देवी , प्रेम देवी , उषा देवी , मिश्री देवी पुत्रियां प्रहलाद सहाय , समस्त जाति ब्राहमण समस्त निवासी बासडी खुर्द तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर के बीच मौखिक राजीनामा हुआ कि उनवानी वाद में विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 378 एंव खसरा नम्बर 388/2 वाके ग्राम बासडी खुर्द नाथू लाल की ही रहेगी क्योंकि नाथू लाल चन्द्रा का दत्तक पुत्र है जिस पर उक्त उनवानी वाद मालीराम बनाम नाथू खारिज करवा लिया गया तथा मिन अप्रार्थी संख्या 9,7,12 के पिता स्व0 प्रहलाद सहाय का कभी भी विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। जो कि प्रार्थीगण के पिता भी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

3. उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को सुना गया । बहस प्रार्थना पत्र में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एंव बताया की प्रार्थी सयुंक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा वाद ग्रस्त आराजीयात त्रुटि पूर्ण रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण के वारिसान प्रार्थीगण एंव प्रफार्मा अप्रार्थीगण के सयुंक्त कब्जे काश्त में दखलअंदाजी एंव मजाहमत उत्पन्न करने एंव बेदखली का नाजायज प्रयास करने तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात को अन्यत्र रहन, बय, मुतंकिल करने में सफल हो गए तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा है अतः प्रथमदृष्टया मामला , सुविधा का सतुलंन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष है। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये दौराने वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से राजस्व रिकोर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पांबद फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण 1/1, 1/3,1/4,3,9,7,12 द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरया बताया की अप्रार्थी 3 द्वारा जरिए रजिस्टर्ड बयनामा अप्रार्थी 1/4 से वादग्रस्त आराजीयात क्रय की गई। वर्तमन में प्रार्थीगण का आराजीयात पर कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों एंव आधारों पर व बिना कोई वाद कारण हुए न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करने व मिन अप्रार्थीगण को नाजायज रूप से हैरान व परेशान करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

4. पत्रावली का निर्णय हेतु रखा गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का चिंतन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ऐ0 एक्ट का विवेचन निम्नलिखित बिन्दुओ के आधार पर किया जाता है।

<u>प्रथम दृष्टया मामलाः–</u> प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पर पर्चा सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थीगण , अप्रार्थीगण 1 व 2 तथा प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के पूर्वज सुखदेव काबिज काश्त थें तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात सहवन/त्रुटिवश से अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से जाहिर होता है कि विवादित आराजीयात प्रारंभ से अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम राजस्व रिकोर्ड में अभिलिखित थी एंव वर्तमान में जरिए रजिस्टर्ड बयनामा अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से जाहिर होता

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ़-रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

है कि प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों के नाम वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व रिकोर्ड में अंकन नहीं रहा है। अप्रार्थीगण 3,4 हाल राजस्व रिकोर्ड में विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में हमारा स्पष्ट अभिमत है कि दर्ज अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। जहा तक आराजीयात में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा निहित है यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य एंव विस्तृत वाद विचारण पश्चात ही तय किया जाना चाहिए । ऐसी स्थिति में पृथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

सुविधा का सतुलंनः—प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अभिवचन किया है कि प्रार्थीगण का विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण , अप्रार्थीगण 1,2 व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण 1/1,1/3/1/4,3,9,7,12 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में इस तथ्य का खण्डन करते हुए बताया है कि प्रार्थीगण के पिता का कभी भी विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त नहीं रहा है जो अप्रार्थी संख्या 9,7,12के भी पिता है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजीयात पर कब्जे का तथ्य प्रार्थना पत्र एंव जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों के आधार पर तथ्य नहीं किया जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से भी प्रथम दृष्टया कब्जे के तथ्य का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है। यह विस्तृत वाद विचारण के समय साक्ष्य से प्रमाणित कर तय किया जाना प्रतीत होता है विधि का सुस्थापित सिद्वांत है कि दर्ज अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः सुविधा का सतुंलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

अपूरणीय क्षतिः— यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड खातेदार है जबकि प्रार्थी राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्ती इन्द्राज के आधार पर खातेदारी घोषणा कराए जाने हेतु न्यायालय में उपस्थिति है राजस्व रिकोर्ड में त्रुटि का तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य, पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं होता है इस स्थिति में किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की स्थिति में अप्रार्थीगणो को राजस्व रिकोर्ड में अभिलिखित खातेदार है, की अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है जबकि प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना कम प्रतीत होती। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है।

उपर्युक्त विवेचन से प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला , सुविधा का सतुंलन एंव अपूरणीय क्षति अपने पक्ष में साबित किए जाने में असफल रहे है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टी0ऐ0 एक्ट साबित न होने पर खारिज किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित न होने पर खारिज किया जाता है।
निर्णय दिनांक 8/12/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सर्वेश शर्मा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़-रेनवाल